राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 18/2024 अपील**

1. देवकिशन रेगर पिता रामेश्वर लाल रेगर निवासी शिव मंदिर रोड, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
2. धीरज रेगर पिता रामेश्वर लाल रेगर निवासी शिव मंदिर रोड, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मी देवी रेगर पत्नी रामेश्वर लाल रेगर निवासी शिव मंदिर रोड, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. तहसीलदार भीलवाडा
2. कैलाश पुत्र नगजी रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
3. आशा पुत्री गंगाराम जाति रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
4. उषा आर्य पत्नि भूरा रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
5. कमलेश पुत्र प्रभुलाल रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
6. कैलाशी पुत्री गंगाराम रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
7. गीता पुत्री गंगाराम रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
8. पुष्पा पुत्री चूनिया रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
9. फूला पुत्री चूनिया रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
10. बक्ति बाई पत्नि गंगाराम रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
11. बालु पुत्र सीता रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के वारिसान

    11/1 नारायण पुत्र बालु रेगर, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

    11/2 अमरचंद पुत्र बालु रेगर, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
12. मूलचन्द पुत्र गंगाराम रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
13. रेखा पुत्री चूनिया रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

14. सोहनलाल पुत्र गंगाराम रेगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के वारिसान

14/1 रतन लाल पुत्र सोहन लाल रेगर, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

15. हजारी पुत्र सीता रेगर वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राज०लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956**

**विरूद्ध**

**विरूद्ध तहसीलदार भीलवाडा नामान्तरण संख्या 879 निर्णय दिनांक 18/06/1992**

उपस्थित –

1. श्री प्रकाश देवाणी, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

# निर्णय

**दिनांक :– 01/05/2026**

अपील प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर में स्थित आराजी सं. 909 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी सं. 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी सं. 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी सं. 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.2392 हैक्टेयर भूमि में से अपीलार्थीगण के पिता व पति रामेश्वर लाल रेगर रेगर का हाल राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/30 आता है, जिसका नामान्तरण दिनांक 18/06/1992 को निर्णित किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण जो कि समस्या समाधान अभियान वर्ष 1992 में हम अपीलार्थीगण के दादा नगजी रेगर की मृत्यु उपरान्त नामान्तरण संख्या 879 दिनांक 18/06/1992 गलत खोला गया। हम अपीलार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर लाल रेगर पिता नगजी रेगर है किन्तु न्यायालय तहसीलदार साहब द्वारा गलत तथ्यों का इन्द्राज कर हम अपीलार्थीगण के पिता व पति का नाम गलत रूप से बाबू दर्ज कर दिया।

नगजी पिता सीताराम रेगर के वारिसान का सही सजरा निम्न प्रकार है–

नगजी पिता सीताराम रेगर

1. नाथी(पत्नि) 2. नानू, पुत्र 3. भूरा , पुत्र 4. कैलाश, पुत्र एवं 5.रामेश्वर लाल रेगर(फौत)(पुत्र)

5/1. लछमी देवी रेगर 5/2. देवकिशन रेगर 5/3. धीरज रेगर

1-5-26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण फैसल करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना न कर अपीलार्थीगण के पिता व पति स्व. रामेश्वर लाल रेगर रेगर जो कि अनपढ़ थे उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही नामान्तरण फैसल कर दिया जो कि विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 02 जो कि नगजीराम के पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 15 हाल खाता संख्या 202 में सहखातेदारान होने हमारे दादाजी के पुत्रों के वारिस होने से उन्हें रेस्पोडेन्ट्स बनाया गया हैं। समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण इनको रेस्पोडेन्ट बनाया है। ये रेस्पोडेन्टगण भी इस बात को जानते है। हमारे पिता का सही नाम रामेश्वर लाल रेगर है, इनसे कोई दाद नहीं चाही गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण फैसल करते समय गलत नाम के तथ्य की पूर्ण अनदेखी कर रेस्पोडेन्टगण सं. 02 व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 15 के पूर्वजों के नाम पर नामान्तरण फैसल कर दिया व अपीलार्थीगण का वर्तमान में कब्जा है। पूर्व में अपीलार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा था। अपीलार्थीगण व उनके परिवारजन द्वारा लाखों रूपये व्यय कर उक्त भूमि को उपजाऊ व काश्त योग्य बनाया जिससे भी उक्त नामान्तरण में नाम संशोधन कर मेरे पिता का नाम बाबु के स्थान पर रामेश्वर लाल रेगर दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों द्वारा नामान्तरण खोलते समय सही नाम राजस्य कर्मचारियों को बताया था किन्तु अधिकारियों ने ध्यान नहीं देते हुए अभियान की भागदोड में घर के बोलते हुए नाम से हम अपीलार्थीगण के पिता का नाम बाबू दर्ज कर दिया जबकि उनका सही नाम रामेश्वर लाल रेगर है। मेरे पिता व पति अनपढ़ होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड को समझ नहीं पाये उन्होने अपना नाम रामेश्वर रेगर बताया फिर भी कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम बाबु दर्ज कर दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की पूर्ण अनदेखी कर व मेरे पिता स्व. रामेश्वर लाल रेगर तथा उनके भाईयों के नाम की जांच नहीं की, उनके दस्तावेजों की जांच नहीं की जबकि मेरे पिता रामेश्वर लाल रेगर के नाम से आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र, पानी व बिजली का बिल आदि दस्तावेज रामेश्वर लाल रेगर पुत्र श्री नगजीराम रेगर के बने हुए हैं तथा मेरे पिता व पति को रामेश्वर लाल रेगर के नाम से ही सभी जानते थे, हम अपीलार्थीगण के दस्तावेजों में भी पिता व पति का नाम रामेश्वर लाल रेगर दर्ज है जो सही हैं किन्तु नामान्तरण में घर के बालते हुए नाम बाबु लिखकर नामान्तरण फैसल कर दिया जो कि गलत हैं जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। हम अपीलार्थीगण के पिता व पति रामेश्वर लाल रेगर की मृत्यु पश्चात समस्त हक अधिकार हम अपीलार्थीगण में निहित हो जाने से अपीलार्थीगण की ओर से अपील सादर प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने हम अपीलार्थीगण के पूर्वज नगजीराम रेगर का नामान्तरण में नाम में गलत तथ्यों का अंकन कर नामान्तरण खोला है तथा अपीलार्थीगण के पिता को बिना जानकारी दिये दर्ज करा लिया जिससे भी संशोधन कर इसी नामान्तरण में नगजी रेगर के वारिसान का नाम बाबु की जगह रामेश्वर लाल रेगर ही अंकित किया जावे। अपीलार्थीगण के पिता व पति की मृत्यु होने के पश्चात जब केसीसी के लिए बैंक में जाने पर अधिकारियों द्वारा कहा गया कि खाते की नकल लाओ तब हम अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकॉर्ड लेने के लिए तहसील में नकल के लिए आवेदन किया तब नकल लेने पर हमें पता चला कि नामान्तरण गलत खुलने के कारण मेरे पिता का नाम बाबू दर्ज आ रहा है जबकि वास्तविक रामेश्वर लाल रेगर है। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा नकल आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 18.01.2024 को नकले प्राप्त होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। परिसीमा का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार के रुप में गुलाब पुत्र सीता लाऔलाद फौत होने के कारण उनका कोई वारिस नहीं होने के कारण उनको रेस्पोडेन्ट नहीं बनाया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नानी पत्नी नगजी रेगर जो कि हमारी दादी लगती है उनकी मृत्यु होने के कारण उनको रेस्पोडेन्ट नहीं बनाया गया है उनके वारिसान सहखातेदारान होने



न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

5-26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के कारण उनको रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 15 बनाया है। उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की होने से न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपील वांछित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 879 को दिनांक 18.06.1992 को पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर नामान्तरण संख्या 879 में मुझ अपीलार्थीगण के पिता व पति का सही नाम बाबु के स्थान पर रामेश्वर लाल रेगर दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम का अंकन किया जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। निम्नलिखित रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत किए गए।

रेस्पोडेन्ट सं. 02 प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम सांगानेर में आराजी सं. 909 रकबा 0.3920, आराजी सं. 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी सं. 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी सं. 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1. 2392 हैक्टेयर में मुझ रेस्पोडेन्ट का सामलाती खाता है जिसमें मेरे शामलाती खातेदार जो कि मेरे भाई है का नाम जो कि गलत रूप से बाबू दर्ज है जबकि उनका सही नाम रामेश्वर लाल तथा उनको इन्ही नाम से जाना जाता है। रामेश्वर लाल जी के वारिस जो कि उक्त अपील में अपीलान्ट है उन्होने जो तथ्य प्रस्तुत किये वह सही है। क्योंकि हमने भी रामेश्वर लाल जी के सारे दस्तावेज में रामेश्वर लाल ही आ रहा है। जबकि बाबू गलत नाम दर्ज कर दिया है। अगर राजस्व रेकॉर्ड में रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी दर्ज किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम जब से जानते समझते है तबसे हमने इनको रामेश्वर लाल नाम से जाना है। निवेदन है कि राजस्व जमाबंदी में दर्ज बाबु नाम को सही कर रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 05 कमलेश पिता श्री प्रभुलाल रेगर की तरफ से निम्न जवाब सादर पेश है कि ग्राम सांगानेर मे आराजी संख्या 909 रकबा 0.3920, आराजी सख्या 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी संख्या 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2392 हैक्टेयर मे मुझ रेस्पोडेन्ट का सामलाती खाता है। जिसमें मेरे शामलाती खातेदार जो कि मेरे रिश्तेदारी में है का नाम जो कि गलत रूप से बाबु दर्ज है जबकि उनका नाम रामेश्वर लाल तथा उनको इन्ही नाम से जाना जाता है। रामेश्वर लाल जी के वारिस जो कि उक्त अपील में अपीलान्ट है उन्हे जो तथ्य प्रस्तुत किये है वह सही है। क्योकि हमने भी रामेश्वर लाल जी के सारे दस्तावेज मे रामेश्वर लाल ही आ रहा है जबकि बाबु गलत नाम दर्ज कर दिया है। अगर राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। क्योकि हम जब से जानते है समझते है तबसे हमने इनको रामेश्वर लाल नाम से जाना है। निवेदन हे कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज बाबु नाम को सही कर रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की तरफ से निम्न जवाब सादर पेश है कि ग्राम सांगानेर मे आराजी संख्या 909 रकबा 0.3920, आराजी संख्या 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी संख्या 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2392 हैक्टेयर मे मुझ रेस्पोडेन्ट का सामलाती खाता है। जिसमें मेरे शामलाती खातेदार जो कि मेरे रिश्तेदारी में है का नाम जो कि गलत रूप से बाबु दर्ज है जबकि उनका नाम रामेश्वर लाल तथा उनको इन्ही नाम से जाना जाता है। रामेश्वर लाल जी के वारिस जो कि उक्त अपील में अपीलान्ट है उन्हे जो तथ्य प्रस्तुत किये है वह सही है। क्योकि हमने भी रामेश्वर लाल जी के सारे दस्तावेज मे रामेश्वर लाल ही आ रहा है जबकि बाबु



न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गलत नाम दर्ज कर दिया है। अगर राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। क्योकि हम जब से जानते है समझते है तबसे हमने इनको रामेश्वर लाल नाम से जाना है। निवेदन हे कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज बाबु नाम को सही कर रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की तरफ से निम्न जवाब सादर पेश है कि ग्राम सांगानेर मे आराजी संख्या 909 रकबा 0.3920, आराजी संख्या 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी संख्या 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2392 हैक्टेयर में मुझ रेस्पोडेन्ट का सामलाती खाता है। जिसमें मेरे शामलाती खातेदार जो कि मेरे रिश्तेदारी में है का नाम जो कि गलत रूप से बाबु दर्ज है जबकि उनका नाम रामेश्वर लाल तथा उनको इन्ही नाम से जाना जाता है। रामेश्वर लाल जी के वारिस जो कि उक्त अपील में अपीलान्ट है उन्हें जो तथ्य प्रस्तुत किये है वह सही है। क्योकि हमने भी रामेश्वर लाल जी के सारे दस्तावेज मे रामेश्वर लाल ही आ रहा है जबकि बाबु गलत नाम दर्ज कर दिया है। अगर राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। क्योकि हम जब से जानते है समझते है तबसे हमने इनको रामेश्वर लाल नाम से जाना है। निवेदन हे कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज बाबु नाम को सही कर रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 04 उषा आर्य पत्नी श्री भूरा रेगर की तरफ से निम्न जवाब सादर पेश है कि ग्राम सांगानेर मे आराजी संख्या 909 रकबा 0.3920, आराजी संख्या 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी संख्या 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2392 हैक्टेयर मे मुझ रेस्पोडेन्ट का सामलाती खाता है। जिसमें मेरे शामलाती खातेदार जो कि मेरे रिश्तेदारी में है का नाम जो कि गलत रूप से बाबु दर्ज है जबकि उनका नाम रामेश्वर लाल तथा उनको इन्ही नाम से जाना जाता है। रामेश्वर लाल जी के वारिस जो कि उक्त अपील में अपीलान्ट है उन्हे जो तथ्य प्रस्तुत किये है वह सही है। क्योकि हमने भी रामेश्वर लाल जी के सारे दस्तावेज मे रामेश्वर लाल ही आ रहा है जबकि बाबु गलत नाम दर्ज कर दिया है। अगर राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। क्योकि हम जब से जानते है समझते है तबसे हमने इनको रामेश्वर लाल नाम से जाना है। निवेदन हे कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज बाबु नाम को सही कर रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 14/1 रतन लाल पुत्र श्री सोहन लाल रेगर की तरफ से निम्न जवाब सादर पेश है कि ग्राम सांगानेर में आराजी संख्या 909 रकबा 0.3920, आराजी संख्या 910 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, आराजी संख्या 911 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 925 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2392 हैक्टेयर में मुझ रेस्पोडेन्ट का सामलाती खाता है। जिसमें मेरे शामलाती खातेदार जो कि मेरे रिश्तेदारी में है का नाम जो कि गलत रूप से बाबु दर्ज है जबकि उनका नाम रामेश्वर लाल तथा उनको इन्ही नाम से जाना जाता है। रामेश्वर लाल जी के वारिस जो कि उक्त अपील में अपीलान्ट है उन्हे जो तथ्य प्रस्तुत किये है वह सही है। क्योकि हमने भी रामेश्वर लाल जी के सारे दस्तावेज मे रामेश्वर लाल ही आ रहा है जबकि बाबु गलत नाम दर्ज कर दिया है। अगर राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। क्योकि हम जब से जानते है समझते है तबसे हमने इनको रामेश्वर लाल नाम से जाना है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन हे कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज बाबु नाम को सही कर रामेश्वर लाल पिता श्री नगजी किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व प्रस्तुत ऑनलाईन जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक 17.02.2026 में नाम रामेश्वरलाल रेगर के स्थान पर बाबू गलत दर्ज हो रहा है। पटवारी पं.स सांगानेर की रिपोर्ट अनुसार भी बाबू पुत्र नगजी रेगर व रामेश्वरलाल पुत्र नगजी रेगर एक ही व्यक्ति है। अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील **स्वीकार** की जाकर तहसीलदार भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबंदी खाता संख्या 202 में बाबु पुत्र नगजी रेगर के स्थान पर बाबु उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र नगजी रेगर दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1-5-26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा